

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Honours Your Trust

सम्मान आपके विश्वास का

पता : जोनल कार्यालय, बेगूसराय
सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स,
ट्रेफिक चौक, बेगूसराय

**ई-नीलामी
बिक्री सूचना**

**परिशिष्ट-IV-E नियम 8 (6) का प्रावधान देखें।
अचल संपत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। जैसा कि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकायों की वसूली हेतु 30.01.2025 को केवल "जैसा है", "जहां है" तथा "जो कुछ भी है" आधार पर इसे बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखा में निम्नांकित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में निम्नांकित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है, अग्रोहस्ताक्षरी कथित संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। बिक्री वेबसाइट: www.baanknet.com

क्रम सं०, शाखा का नाम एवं दूरभाष सं०, ई-मेल आईडी, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, दूरभाष सं०	ऋणी/ गारंटर का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	(क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा तिथि (ग) शेष बकाया राशि	(क) आरक्षित मूल्य (ख) अग्रिम राशि (ग) वृद्धि योग्य राशि	कब्जा की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1. शाखा-बीरपुर birpur@ucobank.co.in मो०-6200401096 (मनीष कुमार) प्राधिकृत अधिकारी- अनिल सलारिया मो०-9464952609	कर्जदार-मेसर्स जय माता दी ज्वैलर्स, प्रो० श्रीमती सरिता कुमारी पति संतोष साह, वार्ड नंबर 6 बीरपुर पश्चिम, बेगूसराय जमानतदाता:- 1. श्री संतोष साह 2. श्रीमती ललिता देवी	संपत्ति के स्वामी : ललिता देवी पति महेश्वर साह, मौजा- बीरपुर, विक्रय पत्र संख्या- 6427 दिनांक 07.09.2015, थाना नं. 435, खाता नं. 782, खेसरा नं. 1827, क्षेत्र-1 कट्टा 10 धुर। सीमा : उत्तर- श्रद्धा देवी, दक्षिण सुखदेव मंडल और राधे चौधरी, पूर्व-बेगूसराय-संजात रोड, पश्चिम- राधे चौधरी	अ) 03.11.2021 ब) 23.12.2022 स) ₹० 24,65,437.09 (as per 13(2) notice) + अप्रयुक्त ब्याज + प्रभार	अ) ₹० 26,77,000/- ब) ₹० 2,677,00/- स) ₹० 10,000/-	सांके- तिक कब्जा

नियम व शर्तें:- 1. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तें हेतु कृपया लिंक www.baanknet.com देखें। 2. इच्छुक खरीददार से अनुरोध है कि वो अपना ID उपरोक्त वेबसाइट पे मोबाइल नम्बर एवं ईमेल ID से पंजीकृत कर लें। अग्रधन राशि को 29.01.2025 को अपर 04 बजे भाग्यशून्य तक या उससे पूर्व ऑनलाइन जमा किया जाए। ई-नीलामी 30.01.2025 को अपर 01:00 बजे से साँच 05:00 बजे तक भाग्यशून्य के बाद 10 मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी। 3. निर्दिष्ट (अपसेट) मूल्य/आरक्षित मूल्य का 10% उपरोक्त वेबसाइट पे ऑनलाइन जमा किए जाने है। 4. सफल बोलीदाता को तुरंत ही ईएमडी जमा राशि को घटाकर, बोली राशि की 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) जमा करनी होगी और शेष रकम को नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। निर्धारित समय अवधि अंतर्गत रकम जमा करने में असफल होने की स्थिति में, भुगतान किए गए रकम को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और प्राधिकृत अधिकारी के पास नीलामी को रद्द करने और एक नयी नीलामी संचालित करने की भी छूट होगी।
नीलामी की शर्तों व नियमों की जानकारी के लिए देखें : <https://baanknet.com/>
यह प्रकाशन प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8(6) व (2) के अधीन अपेक्षित सभी कर्जदारों/गारंटीदाताओं के लिए 15 दिवसीय सूचना भी है।

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, अंचल कार्यालय बेगूसराय

दिनांक : 07.01.2025

यूको बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)



UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

Honours Your Trust

सम्मान आपके विश्वास का

पता : जोनल कार्यालय, बेगूसराय
सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स,
ट्रेफिक चौक, बेगूसराय

**ई-नीलामी
बिक्री सूचना**

**परिशिष्ट-IV-E नियम 8 (6) का प्रावधान देखें।
अचल संपत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना**

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। जैसा कि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक के बकायों की वसूली हेतु 30.01.2025 को केवल "जैसा है", "जहां है" तथा "जो कुछ भी है" आधार पर इसे बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखा में निम्नांकित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में निम्नांकित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है, अग्रोहस्ताक्षरी कथित संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। बिक्री वेबसाइट: www.baanknet.com

क्रम सं०, शाखा का नाम एवं दूरभाष सं०, ई-मेल आईडी, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, दूरभाष सं०	ऋणी/ गारंटर का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	(क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा तिथि (ग) शेष बकाया राशि	(क) आरक्षित मूल्य (ख) अग्रिम राशि (ग) वृद्धि योग्य राशि	कब्जा की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1. शाखा-दनियालपुर, (तेघड़ा) बेगूसराय daniaal@ucobank.co.in मो०-8092481030 (गोविंद त्रिवेदी) प्राधिकृत अधिकारी- अनिल सलारिया मो०-9464952609	कर्जदार-मेसर्स प्रगति ऑटोमोबाइल्स प्रो० श्री आशुतोष कुमार एनएच-28, हाई स्कूल के पास, तेघड़ा बेगूसराय जमानतदाता:- श्रीमती कुमोद देवी, पता- एनएच-28, हाई स्कूल के पास, तेघड़ा बेगूसराय	संपत्ति के स्वामी : श्रीमती कुमोद देवी, उलाव वार्ड नं - 03 मुस्लिम पट्टी के पास स्थित है और भगवती स्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर और अयोध्या सिंह गढ़ के पश्चिम में हवाई अड्डा के पास से मकरदही रोड थाना नं. 412, तौजी नंबर- 6000(साबिक) 6005(एचएएल), खाता नंबर. 325, मौजा- महादेव सिमरिया उर्फ उलाव, खेसरा नं. 209, रकबा-1 कट्टा (4 डिसमिल)। सीमा : उत्तर- कल्पना झा पत्नी विक्रम झा दक्षिण रंजना कुमारी पत्नी सत्येन्द्र झा पूर्व-अयोध्या सिंह गढ़ पश्चिम- 10' रोड	अ) 21.11.2015 ब) 14.02.2019 स) ₹० 4,74,165.00 (as per 13(2) notice) + अप्रयुक्त ब्याज + प्रभार	अ) ₹० 9,59,000/- ब) ₹० 9,59,00/- स) ₹० 10,000/-	सांके- तिक कब्जा

नियम व शर्तें:- 1. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तें हेतु कृपया लिंक www.baanknet.com देखें। 2. इच्छुक खरीददार से अनुरोध है कि वो अपना ID उपरोक्त वेबसाइट पे मोबाइल नम्बर एवं ईमेल ID से पंजीकृत कर लें। अग्रधन राशि को 29.01.2025 को अपर 04 बजे भाग्यशून्य तक या उससे पूर्व ऑनलाइन जमा किया जाए। ई-नीलामी 30.01.2025 को अपर 01:00 बजे से साँच 05:00 बजे तक भाग्यशून्य के बाद 10 मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी। 3. निर्दिष्ट (अपसेट) मूल्य/आरक्षित मूल्य का 10% उपरोक्त वेबसाइट पे ऑनलाइन जमा किए जाने है। 4. सफल बोलीदाता को तुरंत ही ईएमडी जमा राशि को घटाकर, बोली राशि की 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) जमा करनी होगी और शेष रकम को नीलामी की तिथि से 15 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। निर्धारित समय अवधि अंतर्गत रकम जमा करने में असफल होने की स्थिति में, भुगतान किए गए रकम को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और प्राधिकृत अधिकारी के पास नीलामी को रद्द करने और एक नयी नीलामी संचालित करने की भी छूट होगी।
नीलामी की शर्तों व नियमों की जानकारी के लिए देखें : <https://baanknet.com/>
यह प्रकाशन प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8(6) व (2) के अधीन अपेक्षित सभी कर्जदारों/गारंटीदाताओं के लिए 15 दिवसीय सूचना भी है।

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, अंचल कार्यालय बेगूसराय

दिनांक : 07.01.2025